न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

फौजदारी मुकदमा संख्या 04/2014

सायल	बनाम	गैर सायल
जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर		कुशलसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार पुलिस थाना सदर बाड़मेर

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित– 1. सहायक लोक अभियोजक बाड़मेर प्रथम सायल ओर से।
2. श्री सम्पतराज बोथरा अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांक 26.06.2018

1. सायल की ओर से दिनांक 19.02.2014 को गैर सायल कुशलसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार पुलिस थाना सदर, जिला बाड़मेर के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2/3 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल आर्ले दर्जे का शराब तस्कर है, जो अवैध शराब तस्करी में सदैव लिप्त रहता है, जिसके विरूद्व राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत 06 प्रकरण एवं भा.दं.स. के तहत 02 प्रकरण कुल 08 प्रकरण दर्ज हो चुके है, जिनमें से 05 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत दोषी ठहराया जा चुका है। गैर सायल शातिर किस्म का शराब तस्कर है। अवैध शराब तस्करी करना इसने अपना पेशा बना रखा है। गैर सायल के उक्त कृत्य से आम जन के स्वास्थय पर कुप्रभाव पड़ने की पूर्ण सम्भावना है एवं इससे लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

इसकी आपराधिक गतिविधियॉ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो कभी भी बड़ी गम्भीर वारदात कर सकता है, जिससे समाज एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गैर सायल के विरूद्व निम्न 08 प्रकरणों में से 06 प्रकरण राजस्थान आबकारी अधिनियम एवं 02 प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 के तहत दर्ज होकर, सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं, जिसमें न्यायालय द्वारा 05 प्रकरणो में गैर सायल को दोषी पाया गया एवं सजा हुई है–

1. मुकदमा संख्या 180/31.07.1999 अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम चालान नंबर 32/24.08.1999 निर्णय दिनांक 10.12.2004 सजा।
2. मुकदमा संख्या 244/01.10.1999 अन्तर्गत 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम चालान नंबर 117/15.10.1999 निर्णय दिनांक 28.07.2002 सजा।
3. मुकदमा संख्या 03/02.01.2000 अन्तर्गत 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम चालान नंबर 38/29.02.2002 निर्णय दिनांक 13.09.2006 सजा।
4. मुकदमा संख्या 204/01.08.2000 अन्तर्गत 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम चालान नंबर 14/22.08.2002 निर्णय दिनांक 20.09.2006 सजा।
5. मुकदमा संख्या 307/24.9.2007 अन्तर्गत 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम चालान नंबर 238/8.10.2007 निर्णय दिनांक 5.7.2011 सजा।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

उक्त आपराधिक प्रकरणों के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा गैर सायल को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से निष्कासित किये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण पंजीबद्व होकर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत नोटिस जारी किया गया।
3. गैर सायल को नोटिस का जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी नोटिस का जवाब पेश नही किया गया, फलस्वरूप दिनांक 4.12.2015 को गैर सायल का जवाब बन्द किया गया एवं दोनो पक्षों को अपनी–अपनी शहादत

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

पेश करने के आदेश दिये गये। सायल की ओर से परिवाद के समर्थन में श्री ओम प्रकाश उज्जवल थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाड़मेर के बयान करवाऐ गए व सम्बन्धित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। विद्वान सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क हैं कि गैर सायल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, इसके विरूद्व राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 05 प्रकरणो में न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया जाकर सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया गया है। सायल पक्ष के गवाह श्री ओमप्रकाश उज्जवल थानाधिकारी पुलिस थाना बाड़मेर सदर ने अपने अभिकथनो में गैर सायल के विरूद्व राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत दर्ज 05 प्रकरणों में जुर्माना से दण्डित होना बताया तथा गैर सायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) में वर्णित स्थितियॉ विद्यमान होने से गैर सायल को गुण्डा घोषित कर जिले से बाहर निष्कासित किये जाने का पर्याप्त आधार होना बताया।

5. गैर सायल के विद्वान वकील द्वारा लिखित बहस पेश कर जाहिर किया कि पुलिस इस्तगासा में गैर सायल के विरूद्व 05 मुकदमें में उसे दोषी ठहराया गया है। उक्त पांचो प्रकरण प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर से संबंधित है परन्तु पुलिस थाना कोतवाली द्वारा गैर सायल के विरूद्व गुण्डा एक्ट के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई, ऐसी स्थिति में पुलिस थाना कोतवाली के निवेदन के अभाव में गैर सायल के विरूद्व धारा 3 (3) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत विधिनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकती। थानाधिकारी सदर बाड़मेर के यहॉ किसी भी मुकदमें में गैर सायल को दोषी नहीं ठहराया गया है तथा थानाधिकारी सदर बाड़मेर की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण के बाद गैर सायल के विरूद्व किसी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। थानाधिकारी सदर बाड़मेर की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल के विरूद्व चार वर्षो के बाद कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। गैर सायल 60 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति है। इसलिए गैर सायल के विरूद्व गुण्डा एक्ट के तहत की जा रही कार्यवाही निरस्त की जाए। गैर सायल स्वयं द्वारा दिनांक 26.6.2018 को शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसकी उम्र

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

60 वर्ष से अधिक हो गई है। वर्ष 2014 के बाद उसके विरूद्व कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। भविष्य में किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करूगॉ। यदि उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई गैर कानूनी कार्य किया जाना पाया जाता है तो माननीय न्यायालय उसके विरूद्व गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

6. हमने सहायक लोक अभियोजक बाड़मेर प्रथम की बहस एवं गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा पेश लिखित बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भलीभांति अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता हैं कि गैर सायल कुशलसिंह के विरूद्व वर्ष 2014 के बाद कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना बाड़मेर सदर ने भी अपनी रिपोर्ट में गैर सायल के विरूद्व वर्ष 2014 के बाद कोई प्रकरण दर्ज नहीं होना बताया। राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज हुए उक्त प्रकरणो में गैर सायल को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से अपना जुर्म कबूल करने पर अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। सायल द्वारा गैर सायल के विरूद्व दर्ज प्रकरणों की सूची में पारित निर्णय ईएक्सपी. 20, ईएक्सपी 21, ईएक्सपी.22 एवं ईएक्सपी. 23 अनुसार गैर सायल को पांचो मुकदमों में जुर्माने से दण्डित होना बताया है, ये सभी मुकदमें राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 के है। गैर सायल द्वारा उक्त प्रकरण वर्ष 2014 से पूर्व कारित किये गये है, इसके पश्चात एवं वर्तमान समय में गैर सायल के विरूद्व किसी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया जाता है। सायल गवाह श्री ओम प्रकाश उज्जवल थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाड़मेर द्वारा अपने बयानो में गैर सायल के विरूद्व राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणो में गैर सायल को अर्थदण्ड से दण्डित किया बताया है। गैर सायल के विरूद्व वर्ष 2014 के बाद कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। जिससे यह प्रकट होता हैं कि गैर सायल की शराब तस्करी की प्रवृति अब नहीं रही है। गैर सायल के विरूद्व वर्ष 2014 के पश्चात् कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। गैर सायल का वर्तमान में शराब की तस्करी जैसे कार्यो में लिप्त होने संबंधी रिकार्ड पत्रावली पर नहीं हैं एवं न ही

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

थानाधिकारी की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। गैर सायल के 60 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति होने तथा उपरोक्त कारणो के मध्यनजर दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप सायल द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत पेश इस्तगासा दिनांक 19.2.2014 को अस्वीकार किया जाता है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.) बाड़मेर

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 26.6.2018 को सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.) बाड़मेर